राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक एफ 61(111)SSAAT/प्रशिक्षण /2022-23/ 11954 दिनांक 14/3/23

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (समस्त) राजस्थान

विषयः–ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) के नरेगा सोफ्ट में रजिस्ट्रेशन बाबत।

संदर्भः–नरेगा सोफ्ट में SA-Employee- Management List के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृपया शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 61(111)SSAAT/प्रशिक्षण/2021–22/8780 दिनांक 12.7.2022 का अवलोकन फरवाये जिसके द्वारा पूर्व वर्षो से कार्यरत समस्त ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRPs) को तुरंत प्रभाव से हटाया गया था। इसके उपरांत सोसायटी की ओर से जारी सभी सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में यह निर्देशित किया गया था कि सोसायटी के द्वारा प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRPs) से ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करवाया जाये। परन्तु दिनांक 9.3.2023 को नरेगा सोफ्ट पर SA-Employee- Management List का अवलोकन करने पर यह दृष्टिगत हुआ कि 2008, 2013, 2014, 2015 से 2021 तक के BRPs का अभी भी रजिस्ट्रेशन के Status में working दिख रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्लॉक स्तर पर पुराने BRPs का रजिस्ट्रेशन अभी तक खत्म नहीं किया गया है और नये प्रशिक्षित BRPs जिनसे सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना है उनका रजिस्ट्रेशन भी पूर्णतः नहीं किया गया है।

यह एक गम्भीर स्थिति है। आप से आशा की जाती है कि आपके अधिनस्थ सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे पुराने BRPs के रजिस्ट्रेशन से यदि सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट नरेगा सोफ्ट पर अपलोड करेगें तो यह एक गम्भीर अनियमितता होगी। जिन नये प्रशिक्षित BRPs से सामाजिक अंकेक्षण करवाया है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया जाकर नरेगा सोफ्ट पर सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट अपलोड होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त कई जिलो से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि ब्लॉक विकास अधिकारी ग्राम पंचायतो के सामाजिक अंकेक्षण में प्रशिक्षित BRPs को न लगाकर पुराने BRPs से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करवा रहे है। कृपया इस संबंध में भी सभी ब्लॉक विकास अधिकारी को पाबन्द करें कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रशिक्षित BRPs से और उसके उपलब्ध न होने पर अनुभवी VRPs से ही वरीयतानुसार करवाये।

पुराने BRPs से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करवाये जाने पर संबंधित विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देशो की पालना न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13/3

(संदीप चौहान)
निदेशक, SSAAT

क्रमांक एफ 61(III)SSAAT/प्रशिक्षण /2022-23/ 11942-44 दिनांक 14/3/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा
2. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक (EGS) एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
3. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान

13/3

(संदीप चौहान)
निदेशक, SSAAT